न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 96/2011/अपील

1 सुरजा राम (फौत)

1/1 कौयली देवी बैवा सुरजाराम

2/2 प्रहलाद पुत्र सुरजाराम

1/3 जगदीश प्रसाद पुत्र सुरजाराम

समस्त जाति बलाई निवासीगण सवाईपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीला

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र परसाराम
2 श्योनाथ पुत्र परसाराम
3 भंवर लाल पुत्र रूपाराम
4 सीताराम पुत्र रूपाराम

समस्त जाति बलाई निवासी सवाईपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 12.06.06 द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ़ बाबत नामान्तकरण संख्या 578 उनवानी सुरजाराम बनाम अणची वगै. कोछोर तहसील दांतारामगढ

निर्णय

दिनांकः—12.04.2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोछोर के नामान्तकरण संख्या 578 बाबतयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली रिमान्ड होकर आई। रिमान्ड होने के पश्चात् अपीलान्ट हाजिर अदालत पहुंचा, तो योग्य अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने आदेश दिया कि वे स्वयं ही मौके पर आयेंगे और दोनों पक्षो की मौजुदगी में मौका देखेंगे और उसके बाद में ही आगामी पेशी तय करेंगे। इसके पश्चात् प्रार्थी पिठासीन अधिकारी के आने का इन्तजार करता रहा, कई दिनों तक मौका देखने नहीं आने पर पुनः अपीलान्ट योग्य अधीनस्थ न्यायालय में पहुंचा तो पुनः वही बात दोहराई गई। इसके पश्चात् प्रार्थी बिमार हो गया। वृद्वावस्था के कारण चारपाई पर ही रहने लगा तो अपने पुत्र जगदीश को अपीलान्ट ने अपनी फाईल का पता लगाने हेतु कहा, तब पुत्र जगदीश दिनांक 21.05. 2007 को तहसील कार्यालय में पहुॅचा जहां बाबू लोगों ने बताया कि पहले वाले तहसीलदार जी ने उसका तो फैसला तुम्हारे विरूद्व कर दिया है। तब अर्जेन्ट फीस पर नकल प्राप्त की और अतिशीघ्र यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्ट वादग्रस्त भूमियों में 1/4 हिस्से पर काबिज है एवं कदीम सदीम से काश्त करता चला आ रहा है। भूमियों में मौके पर एक पुख्ता मकान व पानी की टंकी बना रखी है पाईप लाईन लगी हुई है। तथा कच्चे घर भी बना रखे है। नामान्तकरण संख्या 578 ग्राम कोछोर सही रूप से भरा जाकर तस्दीक किया गया था। जिसमें किसी भी तरह की कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

काश्त अपीलान्ट का ही है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.06.2006 अनुवानी सुरजाराम बनाम अणची वगै0 खारिज फरमाया जावे तथा पूर्व में तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 578 दिनांक 12.01.1990 ग्राम कोछोर यथावत रखा जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि विवादित स्थल पर अपीलांट का कब्जा है एवं अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय से पूर्व मौके की जांच नहीं की गई। बिना मौके की जांच किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय मौके की जांच करने के उपरांत किया गया है। मौके पर रेस्पो0 अपने हिस्से पर काबिज चला आ रहा है। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट के कथन अनुसार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा विवादित भूमि की मौके की जांच नहीं की गई, जबकि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2006 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि "मुझ स्वयं के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण में मौके पर दिनांक 12.05.2006 को हिस्सा 1/2 की भूमि पर अप्रार्थीगणों का कब्जा काश्त पाई गई है।" इस प्रकार मौके की जांच नहीं करने सम्बंधी बिन्दु आधारहीन व सारहीन पाया जाता है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं होने के सम्बंध में उल्लेख किया गया है। कब्जा निर्धारण के सम्बंध में न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की सकती है। अपीलार्थी के द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य/दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है और न ही कोई ऐसा तथ्य पेश किया है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.06.2006 में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो। प्रार्थी के द्वारा अपनी अपील के तथ्यों और चाहे गये अनुतोष की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किये है। कब्जा निर्धारण या इस आधार पर खातेदारी या अन्य राहत हेतु पक्षकारान सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर चाराजोही करें। निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2006 अनुवानी सुरजाराम बनाम अणची वगै0 में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/4/18

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official